

Ref. no. : Ethos/Secretarial/2024-25/39

Dated: September 6, 2024

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra,
Mumbai - 400 051

Scrip Code : 543532

Trading symbol : ETHOSLTD

ISIN : INE04TZ01018

Subject : Intimation under Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (“Listing Regulations”)

Dear Sir/Ma’am

Greetings from Ethos.

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement of the notice to the shareholders of the Company regarding **17th (Seventeenth) Annual General Meeting** of the Company which is scheduled to be convened on **Friday, September 27, 2024** through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means, published in “Financial Express” (English Newspaper) and “Himachal Times” (Hindi Newspaper) on **September 6, 2024**.

This intimation will also be hosted on the website of the Company i.e., <https://www.ethoswatches.com/investors-information/stock-information>

We would request you to please take the same in your records and oblige.

Thanking you

Yours truly
For **Ethos Limited**

Anil Kumar
Company Secretary and Compliance Officer
Membership no. F8023

Encl.: as above

ETHOS LIMITED

Registered Office:
Plot No. 3, Sector III, Parwanoo,
Himachal Pradesh - 173220, India

Corporate Office:
Kamla Centre, S.C.O. 88-89, Sector 8-C,
Chandigarh - 160009, India

Head Office:
Global Gateway Towers A, 1st Floor, MG Road,
Sector 26, Gurugram, Haryana - 122002, India

'ईको टूरिज्म से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, केरल और कर्नाटक की तर्ज पर विकसित होंगे पर्यटन स्थल'

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुखू ने कहा कि प्रदेश की 69 फीसदी वन भूमि है। ईको टूरिज्म से हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसको लेकर पॉलिसी बनाने में कुछ अड़चनें हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अनछुए स्थान हैं, जहां ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से लाए गए वन संरक्षण अधिनियम और ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने के संबंध में लाए गए संकल्प के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक की तर्ज पर हिमाचल में पर्यटन स्थल विकसित होंगे।

उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म को देखा जाए तो बिग हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक



हिल्स रेंज जानी जाती है। हमारे पास इतनी बड़ी वाटर बॉडीज है। इसके किनारे ईको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अधिकारियों को निर्देश देंगे, प्रदेश हित में इसके किनारे टेंट लगवा का डेवलप किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत पार्टियां हैं, जो हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में साइट्स लेना चाहते हैं। इसमें कुछ कानून, नियम और कुछ

नेता और अधिकारी कानून का हवाला देते हैं। इससे दिक्कतें आ जाती हैं। हमें इन अड़चनों को दूर कर आगे बढ़ना है। आज ही चार साइट्स की फाइल आई थी, मैंने उस फाइल में लिखा है कि कंपिटेंट अथॉरिटी इन साइट्स को खुद ही स्वीकृति दें। मेरे पास फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुखू ने कहा कि बीड-बिलिंग की साइट एक करोड़ रुपये की है।

बीड-बिलिंग में एक बिलिंग ऐसी है जिससे आपने पैर-ग्लाइडिंग के नाम पर 15-20 करोड़ रुपये कमाए हैं। वह 20-25 करोड़ की बिलिंग खाली पड़ी है। उन्होंने कहा कि जाइका की मीटिंग ली है, इसमें कहा है कि बिलिंग बनाने का काम बंद करें, इस पर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह बोटलनेक के बारे में एक सब-कमेटी बनाएंगे।

अनिजी कंपनी में नौकरी का क्रेज, साक्षात्कार में पहुंचे चार राज्यों के युवा, इतनी मिल रही सैलरी

शिमला। युवाओं में निजी कंपनियों में भी नौकरी का क्रेज कम नहीं है। यह क्रेज मंडी आईटीआई में कैम्पस इंटरव्यू में देखने को मिला। मारुति सुजुकी कंपनी ने यहां साक्षात्कार करवाए।

बेहतर सैलरी का ऑफर देख साक्षात्कार में हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से युवा पहुंचे।

कंपनी की ओर से चयनित अभ्यर्थी को 33,400 रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी। दो दिन चली प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार यहाँ रहे और सभी औपचारिकताओं को पूरा किया।

इंटरव्यू में चयनित



अभ्यर्थियों की सूची कंपनी प्रबंधन करीब एक सप्ताह के अंदर जारी करेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने गुरुग्राम और मानेसर के लिए अस्थायी

वर्कमैन के लिए कैम्पस साक्षात्कार करवाए। इसमें 216 उम्मीदवारों ने भाग लिया और साक्षात्कार दिया। संस्थान के प्रधानाचार्य इंजीनियर रविंद्र सिंह बन्वाल ने बताया कि बुधवार को

असेसमेंट हुई और वीरवार को साक्षात्कार हुआ।

साक्षात्कार प्रक्रिया में फिटर, डीजल मेकेनिक, मोटर मेकेनिक, टर्नर, मशीनीस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, वेल्डर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ट्रेक्टर मेकेनिक, पेंटर जनरल, टूल एंड डाई मेकर समेत अन्य ट्रेड के उम्मीदवारों ने भाग लिया।

उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को कंपनी 33,400 रुपये प्रतिमाह देगी। इसके अलावा यूनिफार्म, रियायती दर पर खाना और कंपनी के नियमानुसार अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

सदन में राजस्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक, सीट से उठने पर बढ़ा विवाद

शिमला। विधानसभा में वीरवार को दोपहर बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री की ओर से नियम 102 के तहत सिक्किम, उत्तराखंड और असम की तरह हिमाचल को भी शतप्रतिशत राहत राशि देने को लेकर संकल्प प्रस्ताव लाया गया। इस पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा की ओर से अपनी बात खत्म करने के बाद राजस्व मंत्री स्पष्टीकरण देने के लिए खड़े हुए। मामले ने उस समय तूल पकड़ा, जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सीट पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे। इस पर दोनों के



बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसी बीच नारेबाजी करते हुए गुस्साए विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस पर निंदा प्रस्ताव लाया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार किया।

विपक्ष के बाहर जाने के बाद

मकान, गोशालाएं, दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं हैं। वहीं, मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि जब भी कोई विधायक बोलने के लिए खड़े होते हैं, उनसे पहले नेता प्रतिपक्ष और रणधीर शर्मा खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये आपदा पर प्रस्ताव नहीं है। केंद्र से राहत राशि जारी करने को लेकर प्रस्ताव भेजा जाना है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रभावितों को राहत राशि दी है। उन्होंने कहा कि ये विचित्र स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष को गुस्सा आ जाता है। मंत्री जगत सिंह नेगी तो शुरू से ही जोर से बोलते हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि बिना अनुमति नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं। मैं विधायक रणधीर शर्मा की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर स्थिति स्पष्ट करना चाह रहा था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बिना अनुमति से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बीते साल आपदा से 24,000

विपक्ष की गैरमौजूदगी में शत प्रतिशत अनुदान सहायता का प्रस्ताव पारित

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य में वर्ष 2023-24 के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से शतप्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करने के लिए वीरवार को एक संकल्प पारित किया।

अब इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

यह संकल्प मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुखू ने बुधवार को सदन में पेश किया था। विधानसभा सदन में प्रस्ताव पारित के दौरान विपक्ष नदारद रहा।

इस संकल्प प्रस्ताव पर वीरवार को सदन में चर्चा हुई



है। संकल्प के अनुसार जिस प्रकार वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने 3 आपदा प्रभावित राज्यों सिक्किम, असम और उत्तराखंड के बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता देने की घोषणा की है, उसी तर्ज पर

हिमाचल को भी शतप्रतिशत सहायता राशि प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीधी सहायता देने के बजाय मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी से बाढ़ सहायता देने की बात कही है। यह सहायता 80:20 के अनुपात में मिलती है और प्रदेश को इसमें अपना

28 फीसदी हिस्सा देना पड़ता है। यही नहीं, मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी से बाढ़ सहायता परियोजना के अनुमोदन में भी काफी समय लगता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत केंद्र से मिल रहा पैसा हिमाचल का अधिकार है और केंद्र यह पैसा देकर कोई खैरात नहीं बांट रहा है, क्योंकि यह राशि 15 वें वित्तयोग की सिफारिशों के अनुसार हर राज्य को दी जाती है।

उन्होंने कहा कि बीते वर्ष मानसून सीजन के दौरान 386 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं।

हिंदूवादी संगठनों ने की नारेबाजी, विवादित ढांचे को गिराने की मांग



शिमला। समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने संजौली बाजार में जौरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संजौली चौक से ढली टनल और यहां से वापस संजौली चौक पर लोगों ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के कारण दोपहर करीब डेढ़ घंटे वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

दोपहर में बड़ी संख्या में लोग संजौली चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद बाजार में विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान पुलिस ने धार्मिक स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया था। सबसे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए ढली टनल की ओर रवाना हुए। इसके बाद दोबारा संजौली चौक पर पहुंचे। संजौली चौक लोगों ने प्रशासन को चेतावनी

दी कि अगर दो दिनों में अवैध निर्माण नहीं तोड़ा तो वे हजारों की संख्या में एकत्रित होकर दोबारा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों में आक्रोश इस बात का था कि प्रशासन की आंखों के सामने सालों से अवैध निर्माण होता रहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा लोगों ने प्रदेश सरकार से बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों को पंजीकरण करने और सड़कों के किनारे अवैध रूप से रेहड़ी-फड़ी सजाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की।

लोगों का कहना है कि बाहर से आने वाले लोग शहर की कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के पूर्व पदाधिकारी कमल गौतम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में दो दिन के भीतर कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि शनिवार को नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है।

ओवैसी पर पलटवार, विक्रमादित्य बोले- हिमाचल मोहब्बत की दुकान




शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में अवैध निर्माण मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। बुधवार को विधानसभा सदन में मामले पर विधायक हरीश जनार्थ और मंत्री अनिरुद्ध सिंह आमने-सामने हो गए। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। हमें सभी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। गुरुवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से मामले पर सोशल मीडिया में दिए गए बयान पर पलटवार किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है। यहां किसी के लिए नफरत नहीं है। समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है। उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में अवैध निर्माण का जो मामला है, उसमें सरकार ने संज्ञान लिया है। कल इस संबंध में विधानसभा में भी वक्तव्य दिया है, जिसमें

स्पष्ट तरीके से कहा गया कि सरकार किसी भी तरीके के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह मामला एमसी कोर्ट में लंबित है और काफी समय से इसकी सुनवाई चल रही है। कोर्ट के फैसले अनुसार सरकार की ओर से इसमें कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, जहां पर पूर्व कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण का कानून लागू किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला शहर के लोगों की चिंता है कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से कुछ लोग आ रहे हैं। यह लोग यहां पर झूठी पहचान के साथ काम कर रहे हैं। इसे कानून व्यवस्था को हट्टि से देखे जाने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति बाहरी राज्य से हिमाचल में आकर झूठी पहचान से काम करे, यह प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न है। इस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। पहला अधिकार रोजगार का हिमाचल के लोगों का बनता है। बाहर के लोगों का भी स्वागत है।

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालय की राशि खर्च न करने पर मांगी रिपोर्ट

शिमला। पंचायती राज विभाग के निदेशक और स्वच्छ भारत मिशन को सार्वजनिक शौचालयों को बनाने के लिए जारी राशि खर्च न करने पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब पूरे देश में शौचालयों को चिह्नित किया गया है तो हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं किया। अदालत ने स्वच्छ भारत मिशन को पर्यावरण



विज्ञान और तकनीकी विभाग के साथ मिलकर प्रदेश में सभी सार्वजनिक शौचालय की लोकेशन को पिन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने किरतपुर-

फटकार लगाते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह एनएचआई की जिम्मेदारी है कि सभी टोल प्लाजों पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग स्वच्छ और साफ शौचालयों की व्यवस्था की जाए। अदालत ने कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि कुछ टोल प्लाजों पर शौचालय तक नहीं है और अगर कहीं पर हैं तो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है।

बिलासपुर सड़क पर सार्वजनिक शौचालयों की बेहद खराब स्थिति पर एनएचआई को अदालत की अगली सुनवाई को रिपोर्ट दायर करने को कहा। अदालत ने एनएचआई को